महत्वपूर्ण एवं खास

तीन लोगों की सड़क दुर्घटना में मृत्यु

» वारिसानों के लिए सहायता राशि स्वीकृत

न्याय साक्षी/रायगढ़। रायगढ़ अनुविभाग अंतर्गत तीन लोगों की सड़क दुर्घटना में आकस्मिक मृत्यु होने पर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व रायगढ़ द्वारा नायब तहसीलदार की अनुशंसा पर मृतक के वारिसानों को 25-25 हजार रुपए की वित्तीय सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की गई है। एसडीएम कार्यालय रायगढ़ से प्राप्त जानकारी के अनुसार तहसील रायगढ़ के ग्राम-कोतरलिया निवासी कृष्ण कुमार उर्फ कुछे की 25 मई 2013 को पत्नी श्रीमती सेतकुमारी को 25 हजार रुपए, ग्राम-बेलरिया के कार्तिकराम चौहान की 30 मार्च 2015 को सड़क दुर्घटना में मृत्यु होने पर उनकी पत्नी श्रीमती तपस्वनी को 25 हजार रुपए तथा ग्राम-छुहीपाली निवासी शक्तिमान बेरिया की 6 फरवरी 2019 को सड़क दुर्घटना में मृत्यु होने पर उनके पिता महेश्वर बेरिया को 25 हजार रुपए की वित्तीय सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की गई है।

राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस 25 अक्टूबर को विविध कार्यक्रमों का होगा आयोजन

न्याय साक्षी/रायगढ़। आयुष मंत्रालय भारत सरकार एवं संचालनालय छ.ग.शासन के निर्देशानुसार आगामी 25 अक्टूबर धन्वन्तरी जयंती के दिन चतुर्थ राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस का आयोजन जिला आयुर्वेद कार्यालय रायगढ़ में मनाया जाएगा। राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के मौके पर प्रात: 6 बजे से आयुर्वेद दौड़-स्वास्थ्य की ओर' का आयोजन आयुर्वेद चिकित्सालय से कमला नेहरू पार्क तक किया जाएगा। इसी प्रकार से जिला आयुर्वेद चिकित्सालय रायगढ़ में प्रात: 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक नि:शुल्क आयुष स्वास्थ्य शिविर तथा पूर्वान्ह 11 बजे से आयुर्वेदा फॉर पब्लिक हेल्थ' विषय पर संगोष्ठी का आयोजन होगा। नि:शुल्क आयुष स्वास्थ्य शिविर में विभिन्न बीमारियों जैसे वातव्याधि, श्वास, कास, चर्मरोग, स्त्रीरोग, नेत्ररोग, शिशु रोग आदि जटिल रोगों की आयुष पद्धति से नि:शुल्क निदान एवं चिकित्सा की जाएगी। साथ ही ऋतुचर्या, दिनचर्या आदि की जानकारी भी दी जाएगी। कलेक्टर यशवंत कुमार एवं जिला आयुर्वेद अधिकारी रायगढ़ ने जिले के जनसामान्य से इस अवसर पर उपस्थित होकर नि:शुल्क आयुष स्वास्थ्य शिविर का लाभ उठाने हेतु आग्रह किया है।

सुशीला की आग में जलने से मृत्यु होने वारिसानों के लिए सहायता राशि स्वीकृत

न्याय साक्षी/रायगढ़। तहसील सारंगढ़ के ग्राम-खुरसी निवासी सुशीला की 17 अक्टूबर 2018 को आग में जलने से मृत्यु होने पर कलेक्टर रायगढ़ द्वारा एसडीएम की अनुशंसा पर राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के तहत मृतिका के पुत्र नवीन एवं नवल कुर्रे को 4 लाख रुपए की वित्तीय सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की गई है।

असामयिक वर्षा में हुई क्षति के लिए किसानों को मुआवजे के लिए 72 घंटे के भीतर देनी होगी सूचना

न्याय साक्षी/रायगढ़। संभागीय संयुक्त संचालक कृषि बिलासपुर संभाग ने दिनांक 19 अक्टूबर एवं 20 अक्टूबर को हुई असामयिक वर्षा में हुई क्षति के लिए किसानों को तत्काल बीमा कंपनी एवं संचालनालय कृषि छत्तीसगढ़ रायपुर को सूचना देने के लिए उप संचालक कृषि रायगढ़ को निर्देशित किया है। उन्होंने अपने पत्र में कहा है कि प्रमुख फसल धान के जिन खेतों में फसल कटकर करपा खेत में पड़ा होगा, पानी के कारण नुकसान की स्थिति होगी, ऐसे बीमित ग्रामों के कृषकों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत नुकसान के मुआवजे हेतु 72 घंटे के भीतर सूचना देना अनिवार्य है। ऐसी ही स्थिति अन्य फसलों में भी हो सकती है।

ईज ऑफ डूइंग बिजनेस तथा स्टार्ट-अप के प्रचार-प्रसार हेतु कार्यशाला 23 अक्टूबर को

» क्लस्टर डेव्हेल्पमेंट प्रोग्राम, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, स्फूर्ति के संबंध में दी जाएगी जानकारी

न्याय साक्षी/रायगढ़। जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र रायगढ़ के तत्वाधान में जिला रायगढ़, कोरबा एवं जशपुर में ईओडीबी, एमएसएमई तथा स्टार्ट-अप के प्रचार-प्रसार हेतु 23 अक्टूबर 2019 को प्रात:10 बजे से दोपहर 1.30 बजे शासकीय पालीटेक्निक महाविद्यालय रायगढ़ के ऑडिटोरियम हाल में कार्यशाला/वर्कशाप का आयोजन किया जाएगा। कार्यशाला में रायपुर से आये विषय-विशेषज्ञों द्वारा भारत शासन के बीआरएपी-19 (बिजनेस रिफार्म एक्शन प्लान)के अंतर्गत छ.ग.शासन के ईओडीबी (ईज ऑफ डूइंग बिजनेस) के द्वारा प्रदाय की जा रही सेवाओं की जानकारी तथा इसमें आ रही समस्याओं पर चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही स्टार्टअप छ.ग.-2016के तहत प्रदाय की जा रही सेवाओं/अनुदानों से विद्यार्थियों/प्रशिक्षुओं/उद्यमियों को अवगत कराते हुए शासन द्वारा संचालित योजनाओं जैसे क्लस्टर डेव्हेल्पमेंट प्रोग्राम, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, स्फूर्ति आदि के संबंध में जानकारी दी जाएगी।

गंदगी मिलने पर 8 होटलों से 4500 रू. का जुर्माना

रायपुर (आरएनएस)। नगर पालिक निगम की स्वास्थ्य अमले द्वारा आज गोगांव और अशोक नगर के दर्जन भर होटलों की जांच की गई। वहां गंदगी पाये जाने पर 8 होटलों के खिलाफ 4500 रू. का जुर्माना किया गया। निगम के जोन क्रमांक 1 के जोन स्वास्थ्य अधिकारी आत्मानंद साहू ने बताया कि क्षेत्र के दर्जन भर होटलों में जांच की गई। इस दौरान 8 होटलों में साफ-सफाई का अभाव पाया गया। साथ ही खाद्य सामग्री भी खराब पाये गये। जिस पर उनके खिलाफ जुर्माने की कार्यवाही करने के साथ ही कड़ी चेतावनी भी दी गई।

लेबर सप्लायर के जघन्य अंधे हत्याकांड का हुआ खुलासा

» अज्ञात आरोपी की पतासाजी के लिये जुटी हुई थी 5 अलग-अलग टीमें » टीम वर्क से पुलिस को मिली सफलता

न्याय साक्षी/रायगढ़। थाना कोतरारोड सीमा स्थित मानसरोवर तालाब के पास 10 अक्टूबर को लेबर सप्लायर संदीप सिंह (45 साल) निवासी खरसिया रोड भगवानपुर का अध कटा शव मिला था। घटना की सूचना पर पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह, एडिशनल एसपी अभिषेक वर्मा, नगर पुलिस अधीक्षक अविनाश सिंह ठाकुर, वैरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी आर.के. पैकरा, प्रभारी एफएसएल यूनिट रायगढ़, शहर के टी.आई. एवं उनका स्टाफ, सायबर सेल तथा डॉग स्क्वाड मौके पर पहुंचे थे। विवेचकगण द्वारा मौके पर उपलब्ध साक्ष्य एकत्रित किया जा रहा था जिन्हें कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देश पुलिस अधीक्षक द्वारा मौके पर ही दिया गया तथा घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक द्वारा एडिशनल एसपी एवं सीएसपी रायगढ़ के सुपरविजन में पांच अलग-अलग टीमें निरीक्षक रूपक शर्मा, एस.एन. सिंह, युवराज तिवारी, अमित सिंह, अंजना केरकेट्टा के नेतृत्व में गठन किया गया था। सभी टीमों को अलग-अलग कार्य सौंपा गया था। यह टीमें मृतक के व्यापारिक प्रतिस्पर्धा, अवैध संबंध, पारिवारिक/पैतृक झगड़े, वर्तमान में मृतक के साथ आसपास के लोगों के साथ बात व्यवहार, शव के शेष भाग का पता लगाना आदि पर पूछताछ कर जांच में जुटी हुई थी वहीं एक ओर सायबर सेल की टीम उपलब्ध संसाधन के माध्यम से घटनास्थल का सीसीटीवी फुटेज, मृतक व उससे जुडे सभी व्यक्तियों के कॉल रिकार्ड का विश्लेषण किया जा रहा था।

घटना के संबंध में अप.क्र. 311/19 धारा 302, 201 भादवि की विवेचना में सबसे पहली बाधा थी शव के शेष भाग का पता लगाना पुलिस की जिसे चुनौतीपूर्ण लेत वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन एवं पुलिस पार्टी की सक्रियता से जांच में पता चला कि मृतक संदीप सिंह का पतरापाली किरोड़ीमलनगर में रहने वाले शंकर कुमार पासवान (28 साल) के साथ मिलना जुलना था। शंकर कुमार पासवान जो कि इसी के अंडर छुस्का में लेबर का काम करता था। पुलिस टीम को यह भी जानकारी मिली की घटना दिनांक के रात्रि पतरापाली में रात्रि शंकर कुमार पासवान को घूमते देखा गया था। संदेह के आधार पर पुलिस टीम द्वारा शंकर कुमार को हिरासत में लिया गया और उससे कड़ी पूछताछ की गई जिसमें आखिरकार उसने जघन्य हत्याकांड का खुलासा करते हुए बताया कि मृतक संदीप सिंह काफी दिनों से शंकर कुमार पासवान के साथ लैंगिक संबंध बनाता था। संदीप सिंह के अंदर काम करने के कारण शंकर दबाव में था वह उसकी इन नजायज जरूरतों को पूरी भी कर रहा था और इस कारण से वह काफी परेशान भी था। घटना दिनांक 18.10.2019 की रात्रि करीब 9:30 बजे मृतक संदीप सिंह, शंकर पासवान के घर पतरापाली आया। शंकर पूर्व सुनियोनियोजित तरीके से उसके घर पर संदीप सिंह के ऊपर चाकू से वार करने उसे घायल कर दिया और संदीप के मूर्छित होने पर उसका गला दबाकर हत्या कर दिया और आरी से शव के धड़, पैर, सिर को काटकर तीन अलग-अलग हिस्सों में कर अपनी साइकल में शव के अवशेष को लादकर तीन बार धड़ हिस्से को मानसरोवर में, पैर को मानसरोवर के आगे तथा सिर भाग को मानसरोवर के आगे चिराईपाली रोड में एक पानी टंकी के अंदर डाल दिया था। आरोपी के अपराध कबूलनामें के बाद उसके मेमोरेंडम के आधार पर हत्या में प्रयुक्त आरी, साइकल तथा शरीर के शेष भाग को जप्त कर आरोपी शंकर कुमार पिता मुनारिक पासवान उम्र 28 साल पतरापाली किरोड़ीमल मूल निवास झारखंड को गिरफ्तार किया गया है।

पुलिस अधीक्षक सिंह द्वारा टीम वर्क केलिये सभी की प्रशंसा किये हैं, सम्पूर्ण खुलासा करने में ए.एस.पी. वर्मा, सीएसपी ठाकुर एवं सायबर सेल तथा गठित टीम के सदस्यों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

साप्ताहिक समय-सीमा की बैठक आयोजित

न्याय साक्षी/रायगढ़। कलेक्टर यशवंत कुमार ने आज कलेक्टोरेट सभाकक्ष में साप्ताहिक समय-सीमा की बैठक ली। जिसमें उन्होंने पंचायत पदाधिकारियों एवं पूर्व पदाधिकारियों द्वारा की गई वित्तीय अनियमितता के विरूद्ध राशि वसूली के कार्य को शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। गिरदावरी के कार्य में खसरों से संबंधित आ रही विसंगतियों का परीक्षण कर यथा शीघ्र उचित निराकरण करते हुए यह कार्य शत-प्रतिशत करने हेतु सभी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को निर्देशित किया।

कलेक्टर यशवंत कुमार ने तहसीलदारों तथा नायब तहसीलदारों को प्राप्त प्रकरणों को नियत समय में निराकृत करने को कहा। भू-अर्जन के मुआवजा वितरण के कार्य में कोर्ट में लंबित प्रकरणों के अतिरिक्त शेष बचे सारे प्रकरणों के निराकरण में गति लाते हुए पूर्ण करने के निर्देश समस्त अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को दिए। शिक्षा विभाग में रिटायरमेंट के बाद भी जीपीएफ भुगतान के लंबित प्रकरणों के विषय पर नाराजगी जाहिर करते हुए है सहायक संचालक शिक्षा को उनके त्वरित निराकरण हेतु निर्देशित किया।

नगरीय निकाय क्षेत्र में आबंटित किए जाने वाले पट्टों के सर्वे कार्य के धीमी गति के प्रति नाराजगी जाहिर करते हुए सर्वे टीम को पूरी गंभीरता तथा सजगता से सारे दस्तावेजी तथा अन्य परीक्षण करते हुए प्रकरणों को तैयार कर शीघ्र कार्य पूर्ण करने के लिए निर्देशित किया।

कलेक्टर यशवंत कुमार ने कहा कि पीडब्ल्यूडी तथा पीएमजीएसवाय के कार्यों की समीक्षा करते हुए सड़कों के मरम्मत कार्य गुणवत्तापूर्ण तरीके से जल्दी करने के निर्देश दिए। हाट-बाजार योजना पर चर्चा करते हुए कहा कि अधिक से अधिक लोगों तक यह सुविधा पहुंचनी चाहिए तथा प्रति चिकित्सक 30 से 35 मरीज देखा जाना चाहिए। शहरी स्लम योजना का दायरा भी बढ़ाते हुए स्वास्थ्य सुविधाओं को अधिक लोगों तक पहुंचाने के प्रयास करने के लिए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को कहा। डीएमएफ मद से पूर्व में स्वीकृत एवं लंबित कार्यों को शीघ्र पूरा करवाने के लिए जिला खनिज अधिकारी को निर्देशित किया। उन्होंने खरसिया में निर्माणाधीन 250 सीटर छात्रावासों के निर्माण को शीघ्र पूरा करने के निर्देश सहायक आयुक्त तथा ईई पीडब्ल्यूडी को दिए। इस अवसर पर अपर कलेक्टर राजेन्द्र कटारा, जिला पंचायत सीईओ सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी, सहायक कलेक्टर संवित मिश्रा, एसडीएम सारंगढ़ चंद्रकात वर्मा, अपर कलेक्टर आर.ए.कुरूवंशी, समस्त एसडीएम एवं जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।

खिलाड़ियों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने की पहल

» खेल विकास प्राधिकरण और हर जिले में खेल उत्कृष्टता केन्द्र

रायपुर (आरएनएस)। प्रदेश के खिलाड़ियों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा नई-नई पहल की जा रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और खेल एवं युवा कल्याण मंत्री उमेश पटेल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ खेल विकास प्राधिकरण के माध्यम से खेल उत्कृष्टता केन्द्र (खेल अकादमी) के क्रियान्वयन का निर्णय लिया गया है। राज्य शासन द्वारा पारंपरिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए युवा महोत्सव का आयोजन भी किया जा रहा है। खिलाड़ियों को बेहतर खेल सुविधाएं देने के लिए नई खेल नीति भी बनाई गयी है। स्कूलों में विद्यार्थियों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए क्रिकेट खिलाड़ी अनिल कुम्बले की भागीदारी वाली टेनविक संस्था के साथ स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा अनुबंध किया गया है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गठित किए गए छत्तीसगढ़ खेल विकास प्राधिकरण के माध्यम से प्रदेश के हर जिले में खेल उत्कृष्टता केन्द्र (खेल अकादमी) प्रारंभ किए जाएंगे।

बहुचर्चित सीडी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य में चल रही जांच पर लगाई रोक

» सीबीआई की याचिका पर सुनवाई करते हुए लगाई रोक

» सरकार को नोटिस जारी कर मांगा जवाब

रायपुर (आरएनएस)। कथित सेक्स सीडी मामले में सीबीआई की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राज्य में चल रही तमाम जांचों पर रोक लगा दी है। साथ ही सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री पर गवाहों को धमकाने का आरोप लगाते हुए कथित सेक्स सीडी मामले को छत्तीसगढ़ से बाहर स्थानांतरित करने का अनुरोध करने वाली सीबीआई की याचिका पर नोटिस भी जारी किया है। अदालत ने जब यह पूछा कि जांच एजेंसी उनके मामले को बाहर हस्तांतरित करना क्यों चाहती है तो जवाब देते हुए सीबीआई की तरफ से पेश हुए सॉलिसीटर मेहता ने कहा कि दो गवाहों ने शिकायत दर्ज कराई है कि उन्हें मुख्यमंत्री के खिलाफ बयान देने की वजह से धमकाया जा रहा है। ज्ञात हो कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहित चार अन्य लोगों पर कथित तौर पर राज्य के पूर्व पीडब्ल्यूडी मंत्री राजेश मुणत की एक फर्जी अश्लील सीडी वितरित करने का आरोप है। सीबीआई ने सितंबर 2018 में बघेल के खिलाफ मुणत की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि बघेल ने पूर्व पत्रकार विनोद वर्मा और अन्य के साथ मिलकर फर्जी अश्लील सीडी वितरित की। मामलें में भूपेश बघेल को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया था।

पहन्दा में मुख्यमंत्री हाट-बाजार क्लीनिक योजना आयोजित

न्याय साक्षी/रायगढ़। मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लीनिक योजना अंतर्गत रविवार को सारंगढ़ विकास खंड के ग्राम-पहन्दा में नि:शुल्क स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया गया और ग्रामवासियों का शुगर, ब्लड प्रेशर, खून एवं अन्य बीमारियों का जांच किया गया और उन्हें नि:शुल्क दवाई दी गई।

नगर पालिका आम निर्वाचन हेतु रिटर्निंग/सहायक रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त

न्याय साक्षी/रायगढ़। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी रायगढ़ यशवंत कुमार ने छ.ग.नगर पालिका आम निर्वाचन नियम के प्रावधान अनुसार प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगरीय निकाय आम निर्वाचन 2019 हेतु रिटर्निंग/सहायक रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किया है।

नगर पालिक निगम रायगढ़ के लिए कलेक्टर यशवंत कुमार रायगढ़ को रिटर्निंग ऑफिसर एवं अपर कलेक्टर राजेन्द्र कटारा, अपर कलेक्टर आर.ए.कुरूवंशी, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व रायगढ़ तथा आयुक्त नगर पालिक निगम रायगढ़ को सहायक रिटर्निंग ऑफिसर बनाया गया है।

नगर पालिका परिषद खरसिया के लिए अनुविभागीय अधिकारी राजस्व खरसिया को रिटर्निंग ऑफिसर एवं तहसीलदार खरसिया तथा मुख्य नगर पालिका अधिकारी न.पा.परिषद खरसिया को सहायक रिटर्निंग ऑफिसर बनाया गया है। नगर पंचायत घरघोड़ा के लिए अनुविभागीय अधिकारी राजस्व घरघोड़ा को रिटर्निंग ऑफिसर एवं तहसीलदार घरघोड़ा तथा मुख्य नगर पालिका अधिकारी न.पा.घरघोड़ा को सहायक रिटर्निंग ऑफिसर बनाया गया है। नगर पंचायत धरमजयगढ़ के लिए अनुविभागीय अधिकारी राजस्व धरमजयगढ़ को रिटर्निंग ऑफिसर एवं तहसीलदार धरमजयगढ़ तथा मुख्य नगर पालिका अधिकारी न.पा.धरमजयगढ़ को सहायक रिटर्निंग ऑफिसर बनाया गया है।

नगर पंचायत लैलूंगा के लिए अनुविभागीय अधिकारी राजस्व लैलूंगा को रिटर्निंग ऑफिसर एवं तहसीलदार लैलूंगा तथा मुख्य नगर पालिका अधिकारी न.पा.लैलूंगा को सहायक रिटर्निंग ऑफिसर बनाया गया है। नगर पंचायत किरोड़ीमलनगर के लिए तहसीलदार रायगढ़ को रिटर्निंग ऑफिसर एवं नायब तहसीलदार रायगढ़ लीलाधर चन्द्रा एवं मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पंचायत किरोड़ीमल को सहायक रिटर्निंग ऑफिसर बनाया गया है।

नगर पंचायत पुसौर के लिए तहसीलदार पुसौर को रिटर्निंग ऑफिसर एवं नायब तहसीलदार पुसौर पुष्पेन्द्र राज एवं मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पंचायत पुसौर को सहायक रिटर्निंग ऑफिसर बनाया गया है। नगर पंचायत बरमकेला के लिए अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सारंगढ़ को रिटर्निंग ऑफिसर एवं तहसीलदार सारंगढ़ एवं मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पंचायत बरमकेला को सहायक रिटर्निंग ऑफिसर बनाया गया है। नगर पंचायत सरिया के लिए तहसीलदार बरमकेला को रिटर्निंग ऑफिसर एवं नायब तहसीलदार बरमकेला कु.प्रेमा किस्पोट्टा एवं मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पंचायत सरिया को सहायक रिटर्निंग ऑफिसर बनाया गया है।

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-221359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com RNI NO Ñ- CHHHIN/2018/76480